BIADA

<u>प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2018 को आयोजित परियोजना समासोधन समिति (पी.सी.सी.) की बैठक की कार्यवाही</u>

उपस्थिति:-

1. श्री आर.एस. श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. श्री उमेश कुमार सिंह, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशक के प्रतिनिधि।
3. श्री एस.पी. राय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
4. श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डO, पटना।
5. श्री जी.पी. सिंह, बिहार इण्डO एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि।
6. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना एवं मुजफ्फरपुर।
7. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा एवं भागलपुर।

<u>कार्यवाही</u>

1. समिति द्वारा पाया गया कि इकाईयों के अनुभव की जाँच करने में काफी कठिनाई होती है। इसके लिए निर्णय लिया गया कि- आवेदक इकाई का **Last Audited Balance Sheet (Wherever Applicable)** एवं **Last IT Return, Current Account Status** इकाई का **PAN Card, Registered Office Proof, SME Registration, Proof under MSME Act** अथवा **GST Registration** जिससे कि उद्यम की पुरातन्तरत्ता सिद्ध होती हो, की मांग की जाये।
2. गत् पी.सी.सी. की बैठक दिनांक 10.07.18 में बियाडा में उद्यमियों से संबंधित किन-किन पूर्वानुमतियों को शुल्क के साथ सूचना में बदला जा सकता है, इसके लिए उद्यमी संघों से मंतव्य की मांग की गई थी।

   इस संबंध में बिहार इण्डO एसोसिएशन एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डO के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि उन्हें बियाडा में उद्यमियों से संबंधित निष्पादित होने वाले कार्यों की सूची उपलब्ध करायी जाये, ताकि उसपर मंतव्य उपलब्ध कराया जा सके। तद्नुसार बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डO को कार्यों की सूची उपलब्ध कराते हुए आगामी पी.सी.सी. की बैठक में निश्चित रूप से मंतव्य उपलब्ध कराने को कहा गया।

3. दिनांक 01 से 31 जूलाई 2018 तक भू-आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय पटना के लिए 03, दरभंगा के लिए 04, मुजफ्फरपुर के लिए 02 एवं भागलपुर के लिए 00 अर्थात् कुल 09 ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुए, जो इस प्रकार है:-

4. सर्वश्री त्रिशक्ति आईस इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल:- इनके द्वारा **Ice Block & Ice cream Manufactruing** के उद्योग स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या 76 पार्ट रकवा-2812 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई के द्वारा आवेदन में अनुभव के रूप में 22 वर्ष दिखाया गया है। इससे संबंधित साक्ष्य इकाई से मांग की गई परन्तु इकाई के द्वारा कोई साक्ष्य अपलोड नहीं किया गया।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

5. सर्वश्री आर. डी. एण्ड सन्स गारमेंट्स, औद्योगिक क्षेत्र, धरमपुर दरभंगा:- इनके द्वारा **Readymade of apparel and home textile** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या **28**, रकवा- 4356 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 74 अंक प्राप्त हुए हैं।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, धरमपुर दरभंगा में प्लॉट संख्या **28**, रकवा-4356 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

6. सर्वश्री जय गुरू इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, दोनार दरभंगा:- इनके द्वारा **Agricultural Equipments & General Engineering** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या **C - 3 (P)**, रकवा-4000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 63 अंक प्राप्त हुए हैं। इकाई की परियोजना में मात्र **Agricultural Equipment** ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, दोनार, दरभंगा में प्लॉट संख्या **C-3(P)**, रकवा-4000 वर्गफीट मात्र **Agricultural Equipment** हेतु भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

7. <u>सर्वश्री प्लास्टिक एण्ड फाईबर फर्निचर इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद</u>:- इनके द्वारा **Plastic Chair** की परियोजना की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या NS - 11, रकवा-5780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन के जॉच के क्रम में पाया गया कि इकाई के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है एवं आवेदन एवं परियेाजना प्रतिवेदन में उल्लेखित टर्म लोन के आँकड़ों में भिन्नता है।

<u>निर्णय:-</u> अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इकाई के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. <u>सर्वश्री जय माता दी इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर</u>:- इनके द्वारा **All Types of Plastic Fittings pipes** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या B- 2 रकवा-10890 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए।

<u>निर्णय:-</u> अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इन्हें औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में प्लॉट संख्या B -2, रकवा-10890 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

9. <u>सर्वश्री जी. एल. एण्ड कम्पनी, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहा</u>:- इनके द्वारा **HDD Machine Parts** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या O-2(Phase-II), रकवा-7500 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 60 अंक प्राप्त हुए।

<u>निर्णय:-</u> अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इकाई को औद्योगिक क्षेत्र फतुहा, प्लॉट संख्या O-2(Phase-II) रकवा 7500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

10. <u>सर्वश्री डायमन्ड प्लास्टिक एण्ड रबर इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद</u>:- इनके द्वारा **Plastic Doors, Pipes and rubber products** के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या NS -11, रकवा-5780 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 51 अंक प्राप्त हुए, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

11. सर्वश्री अंजना फुड इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, पंडौल:- इनके द्वारा Long cylindrical pellet papad (ready to fry) के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या 26P, रकवा-8712 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 55 अंक प्राप्त हुए, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

12. सर्वश्री समृद्धि मिल्क एण्ड एलायड प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर:- इनके द्वारा Aseptic Juice के उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A-25, रकवा-43560 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई की जॉच ROC के वेबसाईट से की गई। जॉचोंपरानत पाया गया कि इकाई के द्वारा 2015 के बाद कोई रिटर्न फाईन नहीं किया गया है एवं इनके स्टेटस में Strike off उल्लेखित है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक् विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- उपाध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।	ह0/- अध्यक्ष बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/- अध्यक्ष बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना के प्रतिनिधि

ह0/- कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा/भागलपुर।	ह0/- कार्यकारी निदेशक बियाडा, पटना/मुजफ्फरपुर।	ह0/- उप उद्योग निदेशक उद्योग विभाग, पटना।	ह0/- प्रबंध निदेशक बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 4594/D. दिनांक 28/08/18

प्रतिलिपि:- पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/ आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/18
कार्यकारी निदेशक।